



सत्यमेव जयते

(☎022-22862703)

ई-मेल/e-mail:

irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &  
2282 4354

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग  
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

औ. सं. एवं क. अनुभाग  
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन  
Anushakti Bhavan,  
छ. शि. म. मार्ग  
C.S.M. Marg,  
मुंबई/Mumbai - 400 001

सं.क्र.: 7/14/2022/IR&W/Vol.II/5635

अप्रैल 28, 2023

### परिशिष्ट ADDENDUM

सीएचएसएसनियम, 1998 की खंड संख्या 2.1.7 (ए) और खंड संख्या 2.1.10 (iii) के तहत मौजूदा प्रावधानों के संदर्भ में, मृत्यु/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्थिति में सीएचएसएस सुविधाओं की बहाली की अनुमति है।

With reference to the existing provisions under clause no.2.1.7(a) & clause no. 2.1.10 (iii) of CHSS Rules, 1998, restoration of CHSS facilities in the event of Death/Voluntary Retirement are permitted.

2. आवेदन की तिथि को कल्पित वेतन के आधार पर अंशदान के भुगतान पर, एक अंतराल के बाद सीएचएसएस सुविधा की बहाली की अनुमति देना जैसा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में किया गया है, अभ्यावेदन विभाग में प्राप्त हुआ है।

Reference has been received in the Department, permitting for restoration of CHSS facility after a gap as done in the case of retired employees, on payment of subscription based on notional pay on the date of application.

3. विभाग में सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, सीएचएसएस समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर, अब खंड 2.1.7 (सी) और 2.1.10 (iii) के तहत एक वाक्य निम्नवत के अनुसार जोड़ने का निर्णय लिया गया है:

After careful consideration in the Department, based on the recommendations of the CHSS Review Committee, it has now been decided to **add** clause 2.1.7(c) and a sentence under 2.1.10 (iii) as given below:

- a) खंड 2.1.7(सी) - मृत्यु के बाद किसी भी समय योजना में शामिल होने का विकल्प कर्मचारियों के परिवार के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते जीवन पर्यंत पंजीकरण के लिए यथा दर्शाए अनुसार एक बार अंशदान का भुगतान करना होगा अथवा मृत्यु की तारीख से अंशदान के बकाए का भुगतान करना होगा।" ।

*"Clause 2.1.7(c) –The option to join the Scheme any time after the death will be available to the family of the employees subject to the payment of one time contribution for life long registration as indicated or arrears of contribution from the date of death."*

- b) खंड 2.1.10(iii) "जो कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके पास सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी समय योजना में शामिल होने का विकल्प उपलब्ध होगा बशर्ते जीवन पर्यंत पंजीकरण के लिए यथा दर्शाए अनुसार एक बार अंशदान का भुगतान करना होगा अथवा सेवानिवृत्ति की तारीख से अंशदान के बकाए का भुगतान करना होगा।"

*Clause 2.1.10(iii) – "Employees who are retiring voluntarily has the option to join the Scheme any time after the retirement subject to the payment of one time contribution for life long registration as indicated or arrears of contribution from the date of retirement."*

4. यह परिशिष्ट जारी होने की तारीख से प्रभावी होगा।  
This addendum will be effective from the date of issue.
5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।  
This is issued with the approval of the Competent Authority.

*अजीता*  
*28/04/2023*  
(अजीता थरियन AjithaThariyan)

अवरसचिव (आईआरएंडडब्ल्यू) Under Secretary (IR&W)

सीएचएसएस के सभी प्रशासनिक प्राधिकारी/इकाई प्रमुख/इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख  
All CHSS Administering Authorities /Head of Units/Administrative Heads of Units

प्रतिलिपि Copy to :

अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय  
O/o Chairman, AEC & Secretary, DAE  
संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं लेखा), परमाणु ऊर्जा विभाग का कार्यालय  
O/o JS(A&A). DAE  
परमाणु ऊर्जा विभाग दर्पण  
DAE Darpan